विषय / संदर्भ	ऐलाइन दुहंगन जल–विद्युत परियोजना की सार्वजनिक बैठक का कार्यकृत (आई0 एफ0 सी0 की अपेक्षेताओं के संदर्भ अनुसार)
स्थान	प्रीनि गॅं ाव, हिमाचल प्रदेश
बैठक का दिनांक	7 मई 2003

उपस्थिति

- सब डिवीजन मजिस्ट्रे ट (एस डी एम)
- सहायक वन संरक्षक (ए सी एफ)
- रेंज अधिकारी कुल्लु सर्किल
- पंचायत समूह
- स्थानीय प्रतिनिधि तथा प्रीनि, जगतसुख एंव विशिष्ठ गांवों से लोग
- डा0 आर0 इंगलिश, अंतर्राष्ट्र ीय वित्त ा कारपरेशन (आई एफ सी)
- श्री वी0 डी0 भाटिया – मलाना पावर कम्पनी लि0 (एम पी सी एल) एल एन जे भीलवाड़ा ग्रुप
- श्री शरद कुमार, श्री टी0 पी0 रंजन, श्री विवेक झंब, श्री सतीश ऐरी, कु0 शिवानी मुदगिल, श्री अरविंद जोशी, श्री प्रमोद सुयाल–राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि0 (RSWML), एल एन जे भीलवाड़ा ग्रुप
- श्री सुशील हांडा / श्रीमती नीना सिंह (ई आर एम इंडिया प्रा0 लि0)

प्रीनि गांव, तहसील मनाली, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश में 7 मई 2003 को प्रातः 11:00 बजे 192 मेगावाट ऐलाइन दुहंगन जल–विद्युत परियोजना के क्रि यान्वयन के कारण स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ा।

1. रा0 एस0 वि0 मि0 लि0 (परियोजना प्राधिकारी भी) ने एकत्रित लोगों को कम्पनी की रूपरेखा तथा परियोजना के कार्य के बारे में संक्षेप में बताया। इसके बाद रा0 एस0 वि0 मि0 ने ग्रामीणों को अपनी समस्याएं पैनल के सामने रखने के लिए कहा ताकि परियोजना प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन के दौरान उचित शिकायतों का परियोजना क्रि यान्वयन के समय समाधान कर सके।

2. श्री गोपाल सिंह (ग्राम प्रीनि) ने पी0 ऐ0 को 10 सदस्यीय ग्राम समिति से परिचय करवाया तथा कहा कि यह पी0 ऐ0 के साथ बातचीत करने के लिए बनाई गई हैं। श्री लाले राम को समिति का प्रधान (मुख्य) बनाया गया हें।

3. श्री गोपाल सिंह ने इस बैठक के फैसले के बारे में जानकारी मांगी तथा यह जानना चाहा कि क्या बातचीत अभी होगी या यह बाद में की जाएगी। रा0.रि0.वि0.मि0.लि0. ने उत्तर दिया कि यह बैठक पी0 ऐ0 के लिए एक फोरम हैं ताकि ग्रामीण लोग एक–दूसरे को पहचान लें तथा उन कठिनाईयों को जान लें जो परियोजना कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय स्तर पर उठ सकती हैं। सरकारी नियमों के अनुसार सभी औपचारिक बातचीत बाद में किसी ओर दिन की जाएगी।

4. श्री गोपाल सिहं ने तब कहा कि केवल मुख्य मामला आरम्भिक रूप से भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं। उसने कहा कि आमतौर पर प्रीनि गांव के लोग अपनी भूमि देनें में खुश नहीं हैं क्योंकि उनकी भूमि बहुत उत्पादक तथा सीमित हैं। उनका प्रश्न यह था कि यदि उनकी भूमि उनसे ले ली जाती हैं तो ग्रामीणों को प्रतिपूर्ति के स्थान पर उनका क्या होगा। R.S.W.M.L. ने उत्तर दिया कि उन्होने कुल 80.212 हैक्टेयर भूमि के लिए आवेदन किया हैं जिसमें से 58 हैक्टेयर वन भूमि हैं तथा 13.51 हैक्टेयर निजी भूमि हैं हालांकि सरकार ने केवल 77.272 हैक्टेयर भूमि का आवेदन दिया हैं तथा वन भूमि को 32.167 हैक्टेयर घटा दिया हैं तथा निजी भूमि को 36.565 हैक्टेयर तक बढ़ा दिया हैं। R.S.W.M.L ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भूमि से अधिक भूमि लेने का उनके पास अधिकार नहीं हैं।

5. श्री लाले राम ने कूड़ा–करकट की समस्या के बारे में कहा तथा यह जानना चाहा कि पी0 ऐ0 द्वारा क्या तरीके अपनाए जाने प्रस्तावित हैं। R.S.W.M.Lने उत्तर दिया कि तीनों स्थानों पर डम्पिंग स्थल बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जहाँ मुख्य खुदाई की जानी हैं तथा इन डम्पिंग स्थलों का उचित प्रकार से भर कर, सतही बनाकर तथा इस पर पौधें लगाए जाएंगें। कूड़ा–करकट का 30 प्रतिशत परियोजना घटकों में पुनः प्रयोग में लाया जाएगा। केवल 70 प्रतिशत को अनुमोदित डम्पिंग स्थलों में विपणन किया जाएगा।

6. श्री लाले राम ने बाहरी लोगों के इस क्षेत्र में आने से समस्याओं का उल्लेख किया कि इससे प्रदूषण होगा तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसके लिए उसने पी0 ऐ0 से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। R.S.W.M.L ने स्पष्ट किया कि परियोजना के लिए सभी पर्यावरणीय बचावी तरीकों को अपनाया जा रहा हैं। हांलाकि, धूल आदि के कारण कुछ प्रदूषण निर्माण चरण के दौरान रहेगा। R. S. W. M.L ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजना पर्यावरण पर प्रभाव की जांच करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यावरण बचाव एंव प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (H.P.S.E. - P.P.C.B.) ने परियोजना के निर्माण से पहले वायु, भूमि तथा जल की गुणवता की विश्लेषित जांच को पहले से आयोजित किया हैं। इन परिणामों की परियोजना के चालू होने के बाद इन परिणामों की तुलना की जाएगी। इसमें परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के अनुश्रवण करने में सहायता मिलेगी।

7. गांव समिति के सदस्यों ने यह जानना चाहा कि स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार में वरीयता देना परियोजना कैसे सुनिश्चित करेगी। R.S.W.M.L ने स्पष्ट किया कि परियोजना में रोजगार हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ क्रियान्वयन करार की शर्तों के अनुसार तथा/या

हिमाचल प्रदेश सरकार की पुनर्वास एंव पुनः स्थापना योजना के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

R. S. W. M. ने टिप्पणी दी कि यदि उन्हें क्षेत्र में कुशल तथा अर्धकुशल लोगों की सूची उपलब्ध करना दी जाती हैं तो यह बहुत लाभदायक होगा। गांव समिति ने इस सुझाव पर सहमति प्रकट की।

8. जगतसुख के सहायक प्रधान निम्न लिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहते थे :–

क. क्या पी0 ऐ0 ने परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार से बातचीत करने के लिए स्थानीय लोगों से पूछा था ?

ख. पी0 ऐ0 यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि डम्पिंग स्थलों से मलबा जल समूह तथा भूमि क्षेत्र में नहीं फैलेगा क्योंकि क्षेत्र की भौगोलीय स्थिति बहुत खड़ी ढ़ाल हैं।

ग. जगतसुख में उपजाऊ भूमि को कॉलोनी बनाने के लिए अधिगृहित किया जा रहा हैं जबकि वहाँ तीसरी श्रेणी की भूमि उपलब्ध हैं।

घ. यदि ऐैलाइन तथा दुहंगन के पानी को सुरगों के माध्यम से बहाया जाएगा, तो इन धाराओं में पानी नहीं बचेगा।

R. S. W. M.L ने प्रत्येक बिन्दुओं का निम्नप्रकार से स्पष्टीकरण दिया :–

क. पी0 ए0 ने सरकारी मार्ग अपनाया तथा हमेशा यह प्रयास किए हैं कि किसी को भी भूमिहीन या मकानहीन न बनाया जाए। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से किसी भी गांवों मे से कोई ऐसा नहीं हैं जिसे भूमिहीन या मकानहीन बनाया गया हैं। दूसरा, परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि को चिंहित करने की प्रक्रिया से पहले, गांव की पंचायत ने पी0 ए0 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

ख. डम्पिंग स्थल समतल भूमि पर प्रस्तावित फोरबे के निकट, प्रस्तावित दुहंगन ट्रेंच वीयर तथा प्रस्तावित पावर हाऊस स्थानों के निकट हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका हैं कि उसका भराव तथा समतलीकरण किया जाएगा।

ग. प्रत्येक व्यक्ति की भूमि कुछ प्रकार फसलों के लिए उपजाऊ है। इसलिए, यदि परियोजना के लिए किसी की तीसरी श्रेणी की भूमि को अधिग्रहित किया जाता है तो यह सम्भावना हैं कि उस व्यक्ति के लिए केवल वही भूमि उपजाऊ हैं। इन परिस्थितियों में परियोजना का बना पाना सम्भव नहीं होता। इसलिए भूमि सरकारी नियमों के अनुसार हीं दी जा सकती थी। हांलाकि पी0 ए0 द्वारा पूर्व प्रतिपूर्ति तथा वाजिब शिकायतों को पूरा करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

घ. ऐैलाइन तथा दुहंगन धाराओं के केवल 90 प्रतिशत प्रवाह को सुरगों में अपवर्तित किया जाएगा। ऐैलाइन तथा दुहंगन दोनो बैराजो के लिए अपवर्तन बैराज की

निचलीधारा के अपेक्षित न्यूनतम प्रवाह को पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा। यह भी उल्लेख किया गया है कि काला नाला दुहंगन धारा को अपवर्तन ढ़ाचे के बाद लगभग 1500 मी0 जोड़ता हैं, अतः जगतसुख को पर्याप्त जल मिलेगा।

9. ग्रामीण यह जानना चाहते थे कि पंचायत से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया हैं तथा इस पर किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। R.S.W.M.Lने स्पष्ट किया कि पंचायत से बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र ग्रहण किए भूमि अधिग्रहण की प्रकिया ही आरम्भ नहीं की जा सकती हैं। R.S.W.M.L ने ग्रामीणों को अनापत्ति प्रमाणपत्र दिखाया। ग्रामीणों ने इस पत्र की वैधता पर प्रश्न किए। इस बिन्दु पर एस0 डी0 एम0 ने स्पष्ट किया कि यह पत्र वैध हैं तथा यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की पूर्व–अहर्ता थी।

10. श्री ढ़ालू राम (प्रधान प्रीनि) ने सुझाव दिया कि प्रीनि में वर्तमान स्कूल भवन को पी0 ए0 द्वारा अस्पताल के रूप में प्रयोग में लाया जा तथा स्कूल को जहाँ कहीं उचित हो, स्थांतान्तरित कर दिया जाए। यह इसलिए हैं कि वर्तमान स्कूल भवन बहुत बड़ा नहीं हैं। R.S.W.M.Lग्रामीणों को सूचित किया कि एक अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रणबोर्ड से जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अन्तर्गत संबंधित अनुमोदन को प्राप्त किया जाता हैं। इसलिए इस समय कोई पक्का वचन नहीं दिया जा सकता हैं परन्तु R.S.W.M.Lइस सुझाव निश्चित रूप से ध्यान में रखेगा।

11. उन्होंने पी0 ए0 से यह भी अनुरोध किया कि ग्रामीणों के लिए एक खुला थियेटर/स्टेडियम बनाया जाए। R.S.W.M.L ने कहा कि वह ग्रामीणों की इस बारें में सहायता करेगा।

12. ग्राम समिति यह जानना चाहती थी कि लोग जिनकी भूमि ली जा रही हैं परन्तु उनका नाम सरकारी दस्तावेजों में नहीं हैं, उन्हें भी प्रतिपूर्ति के लिए ध्यान में रखा जाए। R.S.W.M.Lने आश्वासन दिया कि सेब के पेड़ों के लिए प्रतिपूर्ति अनको भी दी जाएगी चाहे अनका नाम सरकारी दस्तावेजों में न भी हो। हांलाकि, कम्पनी उस भूमि के लिए प्रतिपूर्ति नहीं देगी जो राजस्व रिकॉर्डो में नहीं हैं।

13. श्री मनु ने जानना चाहा कि परियोजना के लिए गिराए गए देवदार पेड़ों के लिए क्या प्रतिपूर्ति होगी। R.S.W.M. ने स्पष्ट किया कि कुल 797 पेड़ गिराए जाएंगें तथा इसके लिए 29,50,722 रू की राशि पहले ही सरकारी खजाने में जमा करवाई जा चुकी हैं। R.S.W.M.L ने कहा कि प्रतिपूर्ति वनीकरण तथा जलागम क्षेत्र उपचार योजना के रूप में पी0 ए0 पौध रोपण करेगी तथा उन्हें परियोजना के जीवन अर्थात 40 वर्षों तक पाला जाएगा। R.S.W.M.L प्रतिनिधि तथा सहायक वन संरक्षक ने उपस्थितों को बताया कि क्षेत्र में तीसरी तथा चौथी मई को तूफान के दौरान 150 से अधिक बड़े पेड़ खराब हो गए थे। तुलनात्मकता से परियोजना के लिए गिराए जाने वाले पेड़ों की संख्या नगण्य हैं।

14. ग्रामीणों के सहायक वन संरक्षक से यह जानना चाहा कि राज्य सरकार की वन लगाओ, रोजी कमाओ (स्कीम) का क्या होगा जिसके उन्होंने वन लगाए हैं। सहायक वन संरक्षक ने कहा कि अगर यह मामला हैं तो तब वनों से प्राप्त होने वाले राजस्व का 25 प्रतिशत से अधिक प्रीनि गांव के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

15. R.S.W.M.Lने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि जल अवरोध पाइप आदि जैसे छोटे–छोटे मामलों को स्थल इन्जीनियर की सूचना में लाए जाएं ताकि तत्काल कार्यवाही की जा सके।

16. अन्त में R.S.W.M.L ने सभी ग्रामीणों के सहयोग और समय के लिए धन्यवाद किया तथा किसी सुझाव/शिकायत का स्वागत किया। ग्रामीण प्रसन्न थे कि पी0 ए0 उनके पास आया हैं तथा यह अनुरोध किया कि ऐसी कई बैठकें आयोजित की जाएँ । जैसा कि ग्रामीणों ने अपनी 10 सदस्यों की समिति बनायी हैं, R.S.W.M.L ने इसका स्वागत किया तथा अनुरोध किया कि परियोजना के कारण अनकी मुख्य्य शिकायतों को सीधे इस फोरम के ध्यान में लाया जाए।

17. R.S.W.M.Lने सभी उपस्थितों का धन्यवाद किया तथा बैठक चाय के साथ सम्पन्न हुई।